



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 14-2018/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, JANUARY 25, 2018 (MAGHA 5, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 25 जनवरी, 2018

संख्या 18/एसटी-2- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), (जिसे, इसमें, इसके पश्चात्, इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन नियत तिथि तक किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा भुगतानयोग्य विलंब फीस की राशि का अधित्यजन करते हैं, जो प्ररूप जीएसटीआर-5क में विवरणी देने में असफल रहता है, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, पच्चीस रुपये की राशि से अधिक है :

परंतु जहां उक्त विवरणी में भुगतानयोग्य एकीकृत कर की कुल राशि शून्य है, तो उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन नियत तिथि तक उक्त विवरणी देने में असफल रहने पर, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा भुगतानयोग्य विलंब फीस की राशि, ऐसी सीमा तक अधित्यजित समझी जाएगी, जो प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान उक्त असफलता जारी रहती है दस रुपये की राशि से अधिक है ।

आशिमा बराड़,
विशेष सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 25th January, 2018

No. 18/ST-2.— In exercise of the powers conferred by Section 128 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of late fee payable by any registered person for failure to furnish the return in **FORM GSTR-5A** by the due date under section 47 of the said Act, which is in excess of an amount of twenty-five rupees for every day during which such failure continues:

Provided that where the total amount of integrated tax payable in the said return is nil, the amount of late fee payable by such registered person for failure to furnish the said return by the due date under section 47 of the said Act shall stand waived to the extent which is in excess of an amount of ten rupees for every day during which such failure continues.

ASHIMA BRAR,
Special Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.